

पत्रांक-ज्वा०कमि०(स०द०)/ 2015-16/

1377 / 1516055 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: ३० दिसम्बर-2015

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सचल दल इकाईयों द्वारा योजना बध्द रूप से प्रवर्तन कार्य न करने, कतिपय करापवंचक ट्रॉसपोर्ट्स के वाहनों को न चेक करने तथा यदाकदा व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न करने विषयक प्रवृत्ति को समाप्त करने और प्रभावी प्रवर्तन कार्य से करापवंचन रोकने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सचल दल इकाईयों के प्रवर्तन कार्यों के स्थलीय निरीक्षण / पर्यवेक्षण कराने हेतु विभागीय वेबसाइट पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण माड्यूल की व्यवस्था की गयी है। इस माड्यूल के अन्तर्गत निर्गत निरीक्षण रोस्टर के अनुसार नामित वरिष्ठ अधिकारी (एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 वि०अनु०शा० तथा ज्वाइन्ट कमिशनर वि०अनु०शा०) द्वारा चिन्हित सचल दल इकाई के प्रवर्तन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

2- इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जोन के एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) द्वारा जोन में कार्यरत प्रत्येक सचल दल इकाई का साप्ताहिक प्रवर्तन इयूटी विवरण अपनी लागिन आई०डी० से उक्त माड्यूल के एतदर्थ लिंक पर प्रविष्ट / अपलोड किया जायेगा। सचल दल इकाईयों का उक्त इयूटी विवरण सोमवार से प्रारम्भ होकर रविवार तक के लिये बनाया जायेगा। इसमें सचल दल इकाई की इयूटी अवधि क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (ए-शिफ्ट), अपराह्न 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक (बी-शिफ्ट), और रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक (सी-शिफ्ट), शिफ्टवार उल्लेख करते हुए प्रवर्तन योग्य राजमार्ग, गोदाम, आस्थान भी नियत करके अंकित किया जायेगा।

3- समस्त जोन्स के उक्त इयूटी विवरण के आधार पर मुख्यालय पर सिस्टम से निरीक्षण / पर्यवेक्षण रोस्टर जनरेट किया जायेगा जिसमें निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अधिकारी और उसके लिये चिन्हित सचल दल इकाई नियत हो जायेगी। उक्त रोस्टर जनरेट हो जाने पर इस माड्यूल के SEND SMS पर मुख्यालय से किलक करने पर सम्बन्धित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के तरंग नम्बर पर निरीक्षण योग्य सचल दल इकाई का विवरण विषयक SMS अग्रेसित हो जायेगा। इस प्रकार नामित निरीक्षण / पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा तदनुसार सचल दल इकाई के प्रवर्तन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण / पर्यवेक्षण किया जायेगा। इस माड्यूल में निरीक्षण रोस्टर जनरेशन से सम्बन्धित रिपोर्ट भी मेनू के रिपोर्ट आप्शन पर उपलब्ध रहेगी जिसके लिये अवधि अंकित करते ही तदनुसार रिपोर्ट स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगी जिसका उपयोग मुख्यालय स्तर से अनुश्रवण के लिये किया जायेगा।

4- इस निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी का प्रारूप इस माड्यूल में प्रत्येक निरीक्षण / पर्यवेक्षण अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध है। इस प्रारूप पर प्रत्येक निरीक्षण / पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए प्रविष्ट / अपलोड करेगे ताकि तदनुसार अनुश्रवण किया जा सके। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अधिकारी जब स्थलीय निरीक्षण के लिये निकलें तो सम्बन्धित शिफ्ट में कार्यरत अन्य सचल दल इकाईयों की भी लोकेशन लेते हुए यथा आवश्यकता निरीक्षण कर सकेंगे किन्तु उसकी भी निरीक्षण टिप्पणी उक्त प्रारूप पर पृथक से प्रविष्ट / अपलोड की जायेगी। यदि किसी निरीक्षण / पर्यवेक्षण अधिकारी को वाहन / पुलिसकर्मी सम्बन्धी कठिनाई हो तो उसके लिए चालक सहित उपयुक्त वाहन तथा आवश्यक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा करायी जायेगी।

अतः कृपया उपर्युक्तानुसार निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण माड्यूल में की गयी व्यवस्था के अनुरूप सचल दल इकाईयों के प्रवर्तन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 04-01-2016 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सचल दल इकाईयों का साप्ताहिक प्रवर्तन इयूटी विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त माड्यूल में दिनांक 01-01-2016 तक अनिवार्य रूप से प्रविष्ट/ अपलोड कर दिया जाये ताकि रोस्टर के अनुसार स्थलीय निरीक्षण कार्य दिनांक 04-01-2016 से प्रारम्भ हो सके।



(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्र०पत्रसंख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-

- 1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त माड्यूल में अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, ज्वाइन्ट कमिश्नर (पुलिस) तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचल दल) मुख्यालय की भी एक्सेस हेतु लागिन आई०टी० तथा पासवर्ड की व्यवस्था कराये तथा अनुश्रवण में ज्वाइन्ट कमिश्नर (स०द०) मुख्यालय को सहयोग प्रदान करें।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचल दल) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि समस्त जोन्स से सचल दल इकाई के प्रवर्तन सम्बन्धी इयूटी विवरण प्रविष्ट / अपलोड कराते हुए दिनांक 04-01-2016 से नियमित रूप से साप्ताहिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण रोस्टर जनरेट कराते हुए अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (पुलिस) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
- 4- डिप्टी कमिश्नर (प्रभारी) केन्द्रीय सचल दल इकाई, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।